

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

गांधी जयंती पर विशेष ग्राम सभाओं में होगा वीबी-जी राम जी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार

ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को वीबी-जी राम जी योजना के प्रावधानों
की दी जाएगी जानकारी

विकसित ग्राम पंचायत प्लान के जरिए गांव की जरूरतों और प्राथमिकताओं
पर होगा सामूहिक निर्णय

लखनऊ : 01 अक्टूबर, 2026

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने (02अक्टूबर)गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में वीबी-जी राम जी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये हैं। इस अवसर पर विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी और पंचायत सचिव द्वारा ग्रामीणों को वार्ता के बिंदु सुनाए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आइये, हम सब मिलकर अपनी ग्राम पंचायत को विकसित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें। सब लोग मिलकर एक विकसित पंचायत और विकसित भारत का संकल्प लें।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दो अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभाओं में वीबी-जी राम जी योजना के प्रमुख प्रावधानों और विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) पर विशेष चर्चा की जाएगी। इस संबंध में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

ग्राम सभा बैठकों के दौरान पंचायत सचिव वीबी-जी राम जी अधिनियम के मुख्य बिंदुओं की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा करेंगे। योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके अलावा, काम की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। गाँव की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर अब 375 प्रकार के स्वीकृत कार्यों का चयन किया जा सकेगा, जिससे गाँव में टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण संभव होगा। इसका उद्देश्य है कि रोजगार के साथ-साथ गाँव में ऐसे टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, जिनसे गाँव का विकास और ग्रामीण आजीविका मजबूत हो। 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों में से गाँव की वास्तविक जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार कार्य लिए जा सकेंगे।

मजदूरी का भुगतान आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो प्रावधानों के अनुसार विलंब क्षतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।

विकसित ग्राम पंचायत प्लान-गाँव के विकास के लिए जरूरी काम विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से तय की जाएंगी जिसे सभी के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से बनाई जाएगी कि गाँव में किन कार्यों की आवश्यकता है, किन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कौन सी कार्य का कहाँ निर्माण करना है—इन विषयों पर निर्णय ग्राम सभा के माध्यम से लिया जाएगा। ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शिता वीबी जी राम जी के सफल क्रियान्वयन में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट की व्यवस्था है, जिसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ग्राम पंचायत केवल योजनाओं के क्रियान्वयन का स्थान नहीं, बल्कि स्थानीय विकास का केंद्र है। रोजगार, आजीविका, जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से हम अपने गाँव को आगे बढ़ा सकते हैं। 02 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले रिफार्म उत्सव (प्रचार प्रसार) के सफलता पूर्वक आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में जनपद व विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं।

राज्य स्तर पर श्री डी एन पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (वीबी-जीरामजी), जनपद स्तर पर उपायुक्त श्रम रोजगार, व विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि वीबी-जी राम जी का क्रियान्वयन पूरे देश में 01 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है।

सम्पर्क सूत्र— बी0एल0 यादव

राम यतन/04:45 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in